

* माध्यमिक शिक्षा और उनकी समस्याएँ *


माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है। अंग्रेजी में इसके लिए secondary शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है दूसरे स्तर के शिक्षा। प्रथम स्तर के अ शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा आती है।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान रूप उस विधवा शिक्षा व्यवस्था की है जिसे पिंकी आधार शिक्षा 1854 ई. में शुरू की घोषणा पर के द्वारा रखा गया था। उस समय संयुक्त वर्ग के लड़के चुने गए बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। माध्यमिक शिक्षा की विस्तार के बारे में समय के साथ संकुचन तथा विस्तार हुए हैं। वर्तमान समय में भी माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न अवधि राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। माध्यमिक शिक्षा के केन्द्र माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं।) जो राज्य के शिक्षा विभाग का काम माध्यमिक शिक्षा प्रचलन द्वारा नियंत्रित होते हैं। लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 2 करोड़ घरों में (1 करोड़ 30 लाख लड़के और 70 लाख लड़कियाँ) माध्यमिक स्कूलों की कक्षा 9 से 12 वर्ष तक के बच्चे पढ रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रकार संतोषजनक माना जा सकता है।

परन्तु (10+2+3) शिक्षा संरचना की दबाव की दृष्टि से यह बहुत कम है। इनका प्रभाव अधिक करना है। इस समय हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा की क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएँ हैं वे निम्नलिखित हैं :-

समस्याएँ :-

माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ निम्नलिखित हैं।



स्कोल में, संख्या में बढ़ी जा तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक उस आयु के बच्चे उनका लाभ नहीं उठाते अर्थात् वे विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते प्रवेश लेने के बाद इसमें रुके रहने के साथ उसे पूरा नहीं करते जो माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है।

मात्र विभिन्न भाषाओं का देश है यहाँ एक प्रचलित कहावत है "कोष-कोष पर पानी बरसे दस कोष पर पाणी" जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे सामने भाषा संबंधित निम्न तीन समस्याएँ उपस्थित हुई :-

- 1) राष्ट्रभाषा किसकी बनाया जाए ?
- 2) संघीय भाषा किस भाषा को बनाया जाए ?
- 3) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्या है ?

सन् 1956 में केन्द्रीय शिक्षा समझकारों (CABE: Central Advisory Board of Education) ने इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया और इस समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। सन् 1957 में भारतीय सरकार ने इस समस्या के इस स्तर में अनेक व्याघातें कीं। अतः 1961 में एक मुख्य सम्मेलन बुलाया गया और इस त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप प्रदान किया गया जो इस प्रकार था।

माध्यमिक स्तर पर सभी दस राज्यों को तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा।

- i) मातृभाषा (प्रादेशिक भाषा)
 - ii) राष्ट्रभाषा हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों में कोई अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा)
 - iii) अंग्रेजी अथवा कोई अन्य यूरोपिय भाषा।
- इस त्रिभाषा सूत्र के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य थे :-
- (i) प्रांतीय भाषाओं का विकास करना
 - (ii) राष्ट्रभाषा हिन्दी को संपर्क भाषा बनाना।
 - (iii) राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सौहार्द स्थापित करना।